न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 109/2019 (1045/2017)

GCMS NO. : 2017/00073

-:: सायला ::-	बनाम	-:: गैरसायलान ::-
1. गीतादेवी पुत्री शिवलाल जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा तहसील जैतारण।		1. धापूदेवी पुत्री शिवलाल जाति मेघवाल निवासी भंवाल वाया जसनगर तहसील रियांबड़ी जिला-नागौर। 2. छगनाईदेवी पत्नि शिवलाल जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा तहसील जैतारण। 3. बिदामीदेवी पत्नि गोपूराम जाति मेघवाल निवासी रास तहसील जैतारण। 4. तहसीलदार, जैतारण जिला-पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजूः 24/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीया।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय : **दिनॉकः 27/09/2021**

वकील मय प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा गांव अमरपुरा, पटवार हल्का राबड़ियावास तहसील जैतारण में सायला एवं गैरसायलान की शामलाति खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 196 रकबा 44.02 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। जिसमें सायला का 1/3 वां हिस्सा है। शेष भूमि में गैरसायलान संख्या 01 का 1/3 वां हिस्सा एवं गैरसायलान संख्या 02 का 1/3 में से 47/147 वां हिस्सा व शेष गैरसायलान संख्या 03 का 1/3 में से 100/147 वां हक हिस्सा है। इन्हीं हिस्सों माफिक सायला व गैरसायलान अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज है व इसी अनुसार सायला व गैरसायलान रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। इस भूमि को प्रार्थना पत्र में आगे विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। नकल चालु जमावन्दी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। विवादित भूमि सायला व गैरसायलान के मौके पर [illegible] अलग बंटी हुई है। व इसी माफिक पक्षकारान का कब्जा काश्त व हक अधिकार भी है लेकिन अभी तक इस विवादित भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्ड्स के कोई बंटवारा नहीं हुआ है। उक्त विवादित भूमि राजस्व रेकर्ड में [illegible] व शामलाति [illegible] की वजह से

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:49:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

गैरसायलान संख्या एक माठ व बंटवाड़ा को लेकर के वाद विवाद करती है तथा अपने हक हिस्से से ज्यादा भूमि पर बतौर अतिक्रमी के कब्जा कर लेना चाहती है। जबकि सायला अपने हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि के चारों तरफ बाद पेमाईश के भूमि में काली मिट्टी व खाद वगैरा डालकर आधूनिक तरीके से काश्त करना चाहती है। जिस पर सायला ने गैरसायलान संख्या एक व दिगर गैरसायलान को इस विवादित भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा करने के लिये कई बार निवेदन किया तथा सायला को अपने हक हिस्से की भूमि पर बैंक से साख पत्र बनवाने हेतु भी विवादित भूमि का बंटवाड़ा आवश्यक है। लेकिन गैरसायलान संख्या एक द्वारा नही मानने व दिनांक 05.06.2017 को ऐसा बंटवाड़ा कराने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर देने पर व वाद विवाद करने पर सायला के पास यह प्रार्थना पत्र बाबत बंटवाडा का पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत बंटवाडा का विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। विवादित भूमि सायला व गैरसायलान की संयुक्त व शामलाति है। जिसका बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाड़ा नही हुआ है। गैरसायलान संख्या एक बदमाश प्रवृति की महिला है। जो सायला के कब्जे काश्त में जबरदस्ती बाधा व अड़चन पैदा कर रही है। तथा सायला को उनके आराजी में प्रवेश करने से भी रास्ते में व्यवधान डालकर रास्ते रोक रही है। दिनांक 05.06.2017 को सायला अपने हक हिस्से के खेत में सायला साल संभाल करने गई उस समय गैरसायलान संख्या 01 सायला के खेत मे बतौर अतिक्रमी के आई व सायला के साथ धक्का धूम व गाली गलौच करने लगी तथा एलानिया कथन किया इस वर्ष वह सायला को उसके हक हिस्से की भूमि में फसल की बुवाई नहीं करने देगी व जबरदस्ती सायला की भूमि में कब्जा कर लेगी तथा सायला व गांव के मौजिज व्यक्तियों द्वारा समझाने पर भी वह नहीं मान रही है व मौके पर विवाद करने को आमादा है तब ऐसी विषम परिस्थितियों में यदि गैरसायलान ने जबरदस्ती लाठी लकड़ियों के बल पर सायला को बेदखल कर दिया तो सायला अपने हक हिस्से की खातेदारी भूमि का उपयोग उपभोग करने से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जायेगी तथा सायला को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी। सायला गैरसायलान के ऐसे अवैध कृत्यों का विरोध करेगी जिससे विवाद बढ़ेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में सायला के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। समस्त तथ्यों परिस्थितियों एवं दस्तावेजात तथा मौके पर कब्जा व काश्त के आधार पर सायला का प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी सायला के पक्ष में प्रमाणित हैं यदि गैरसायलान जबरदस्ती सायला के हक व हिस्से व अधिकार की भूमि में जबरदस्ती प्रवेश कर सायला को बेदखल कर देते है या सायला के हक की भूमि बाधा व हस्तक्षेप करते है तो सायला को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी एवं होने वाली क्षति का मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना कतई संभव नहीं है। इसलिए सुविधा का संतुलन भी सायला के पक्ष में प्रमाणित है। तब यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:49:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र बहक सायला विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय बहक सायला विरूद्ध गैरसायलान के इस आशय का जारी की जावे कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित आराजी में सायला अपने 1/3 वें हक हिस्से की आराजी में बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज होकर काश्त करे या करावे एवं काश्त मुतालिक तमाम कार्य, करे या करवावें तो उसमें गैरसायलान स्वयं उनके परिवार के सदस्य रिश्तेदार, कारीगर, मजदूर, या अन्य कोई व्यक्ति किसी प्रकार से उनके कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप व दखलंदाजी न तो करे न ही करावें। ऐसा करने से गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र के अन्तिम निस्तारण तक रोका जावे। ऐसा निर्णय बहक सायला विरूद्ध गैरसायलान के सादिर फरमावे।

इस पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलन को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, सामिल मिसल है। गै.सा. संख्या 3 व 4 बावजूद नोटिस तामिल सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी अधिवक्ता को नोटेड करवाने के बावजूद व कोस्ट राशि पर अवसर देने के बावजूद जवाब प्रा. पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब प्रा.पत्र बन्द किया गया।

उभयपक्ष बहस राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र, अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है। जमाबंदी संवत् 2071–2074, ग्राम अमरपुरा, पटवार हल्का राबडियावास, तहसील जैतारण से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। सामान्य सिद्धान्त यह है कि एक सह–अभिधारी (संयुक्त) का जोत के प्रत्येक इंच पर स्वामित्व एवं कब्जा माना जाता है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का यह कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वादग्रस्त आराजी में केवल प्रार्थीया के पक्ष में ही प्रथम दृष्टया मामला है। लिहाजा यह बिन्दु बखूबी साबित नहीं होता है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** साधारणतयाः वादग्रस्त आराजी के वर्तमान उपभोग/उपयोग का लाभार्थी महत्वपूर्ण होता है। बिन्दु संख्या 01 के विवेचन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी सह–खातेदारी की संयुक्त भूमि है। अतः ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक सह–अभिधारी का अपने हिस्से में सुविधा का संतुलन निहित होता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि सुविधा का संतुलन केवल प्रार्थीया के पक्ष में ही निहित है फलतः यह बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में निहित होना साबित नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:49:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

3. **अपूरणीय क्षतिः–** चूंकि पूर्व विवेचित दोनों बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में साबित नहीं हुए हैं। साथ ही चूंकि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण भी सह–खातेदार है तथा प्रत्येक सह–खातेदार को अपने खातेदारी अधिकार का उपयोग एवं उपभोग करनें का प्राथमिक अधिकार होता है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें से इन्हें अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग/उपभोग से महरूम होना पडेगा। जिससे अपूरणीय क्षति अप्रार्थी को होना संभव है। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित नहीं होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थीया/वादीया के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया/ वादीया अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थीया के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फारेस्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
(फारेस्ट ट्रेक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 27/09/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फारेस्ट ट्रेक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:49:09 IST
Reason: SelfAttested